न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

...र्थी: रामावतार व अन्य

अप्रार्थी: चन्द्रशेखर व अन्य

...संख्या : 166 /2016

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.06.2018		

निर्णय

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व कैम्प कोर्ट के दौरान पेश हुई।

वकील प्रार्थी उप0। पैरोकार राज0 उप0।

वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 766 ग्राम डाबिच, तहसील फागी जिला जयपुर की आराजीयात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी आराजीयात को रहन, बेय, मुन्तकिल व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 9 प्रभावित पक्षकार है। कैम्प के मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय अनुसार कैम्प के सदस्यगण ने प्रार्थना पत्र कन्फर्म किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की है, न्यायहित में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम को, आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 9 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 766 ग्राम डाबिच, तहसील फागी जिला जयपुर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक–दूसरे की कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट दौसरा में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner